न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 864 / 2023

अनवान : –

1. विध्या देवी पत्नी शिव कुमार जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. सन्दीप कुमार पुत्र शिव कुमार जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अरूणा पुत्री शिव कुमार जाति रेगर निवासी नोहर तहसील तहसील नोहर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदार अधिवक्ता **वादीया**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मालीया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 39 / 40 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 16.7860 है0 भूमि में से 23 / 1526 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 44 / 44 के खसरा नं. 120 की कुल तादादी 5.7790 है0 भूमि में से 2 / 10 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मेघसिंह पुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 168 / 171 के कुल खसरे 2 की कुल 9.6490 है0 भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि वादीया के पति मृतक शिवकुमार पुत्र बलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शिवकुमार पुत्र बलराम के नाम दर्ज है जो कि वादीया का पति है शिवकुमार पुत्र बलराम का देहान्त हो चुका है शिवकुमार पुत्र बलराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 है जो शिवकुमार पुत्र बलराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो की वादीया के पुत्र / पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके बाद हक त्याग वादीया वाद भूमि पर काबिज है। वादीया इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा [illegible] वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा मालिया खाता संख्या 39 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा चक राजासर खाता संख्या 44 प्रदर्श–2, जमाबंदी रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा सम्वत 2074–77 खाता संख्या 168 प्रदर्श–3, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–4 मृत्यु प्रमाण पत्र शिवकुमार प्रदर्श–5 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीया के पति के नाम दर्ज है वादीया के पति शिवकुमार पुत्र बालाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालीया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 16.7860 है0 भूमि में से 23/1526 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या [illegible] के खसरा नं. 120 की कुल तादादी 5.7790 है0 भूमि में से 2/10 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 168/171 के कुल खसरे 2 की कुल 9.6490 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि वादीया के पति मृतक शिवकुमार पुत्र बलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीया का कथन है कि वादीया के पति शिवकुमार बलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग दिया है। वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा शिवकुमार पुत्र बलाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालीया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 16.7860 है0 भूमि में से 23/1526 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 44/44 के खसरा नं. 120 की कुल तादादी 5.7790 है0 भूमि में से 2/10 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मेघसिंह पुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 168/171 के कुल खसरे 2 की कुल 9.6490 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि वादीया के पति मृतक शिवकुमार पुत्र बलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में शिवकुमार पुत्र बलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:36 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 864/2023
अनवान : –

1. विध्या देवी पत्नी शिव कुमार जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. सन्दीप कुमार पुत्र शिव कुमार जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अरूणा पुत्री शिव कुमार जाति रेगर निवासी नोहर तहसील तहसील नोहर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 864 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/2024

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालीया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 16.7860 है0 भूमि में से 23/1526 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 44/44 के खसरा नं. 120 की कुल तादादी 5.7790 है0 भूमि में से 2/10 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मेघसिंह पुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 168/171 के कुल खसरे 2 की कुल 9.6490 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि वादीया के पति मृतक शिवकुमार पुत्र बलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में शिवकुमार पुत्र बलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.01.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:36 IST
Reason: SelfAttested